रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2005/चैत्र 11, 1927
No. 137] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2005/CHAITRA 11, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 200(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारुप, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 24 मार्च, 2005 में भारत सरकर के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 190 (अ) तारीख 24 मार्च, 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकशित की गई थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीन दिन की अवधि के भीतर आक्षेप या सुझाव आंमत्रित किए गये थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 29 मार्च 2005 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारुप नियमो के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव, प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (1) के खड (छ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

1\. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 में,-

(क) उपनियम (12) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" परन्तु डीजल चालित दु पहिए और तिपहिए वाहनों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम 2) नीचे सारणी में प्रत्येक राज्य के सामने निर्दिष्ट तारीख से लागू होंगे:-

सारणी

क्रमांक संख्या	राज्य	तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	राजस्थान	1 जून, 2005
2.	उत्तर प्रदेश - मथुरा, कन्नौज, मुजफ्फर नगर, अलीगढ़, फरुखाबाद, सहारनपुर, बदायुं, बरेली, मुरादाबाद, हाथरस, रामपुर, बिजनौर, आगरा, पीलभीत, जे.पी. नगर, मैनपुरी, ललितपुर, हरदोई, फिरोजाबाद, झांसी, शाहजहांपुर इटावा, जालौन, लखीमपुर खीरी, एटा, महोबा और सीतापुर	1 जून, 2005
3.	उत्तरांचल	1 जुलाई, 2005
4.	मध्य प्रदेश	1 सितम्बर, 2005
5.	हिमाचल प्रदेश	1 अक्तूबर, 2005
6.	जम्मू - कश्मीर	1 अक्तूबर, 2005
7.	पंजाब	1 अक्तूबर, 2005 ";

(ख) उपनियम (13) में निम्नलिखित परंतुक अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" परन्तु डीजल चालित चार पहिया यान के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक (भारत प्रक्रम 2) नीचे सारणी में प्रत्येक राज्य के सामने निर्दिष्ट तारीख से लागू होंगे :-

सारणी

क्रमांक संख्या	राज्य	तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	राजस्थान	1 जून, 2005
2.	उत्तर प्रदेश - मथुरा, कन्नौज, मुजफ्फर नगर, अलीगढ़, फरुखाबाद, सहारनपुर, बदायुं, बरेली, मुरादाबाद, हाथरस, रामपुर, बिजनौर, आगरा, पीलीभीत, जे.पी. नगर, मैनपुरी, ललितपुर, हरदोई, फिरोजाबाद, झांसी, शाहजहांपुर इटावा, जालौन, लखीमपुर खीरी, एटा, महोबा और सीतापुर	1 जून, 2005
3.	उत्तरांचल	1 जुलाई, 2005
4.	मध्य प्रदेश	1 सितम्बर, 2005
5.	हिमाचल प्रदेश	1 अक्तूबर, 2005
6.	जम्मू - काश्मीर	1 अक्तूबर, 2005
7.	पंजाब	1 अक्तूबर, 2005 "।

[फा. सं. आरटी–11011/10/2001–एमवीएल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गये थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 165 (अ), तारीख 9 मार्च, 2005 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

G.S.R. 200(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 24th March, 2005 vide notification of Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number G.S.R. 190 (E), dated the 24th March, 2005, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of three days from the date on which copies of the Gazette of India, in which the said notification was published, were made available to the public;

And, whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 29th March, 2005;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 110 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2005.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 115 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, -

   (a) in sub-rule(12), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

   "Provided that Mass emission standards (Bharat Stage II) for diesel driven two wheeler and three wheeler shall come into force on the dates specified against each of the States in Table below:-

Table

Serial Number	State	Date
(1)	(2)	(3)
1.	Rajasthan	1st June, 2005
2.	Uttar Pradesh - Mathura, Kannauj, Muzaffarnagar, Aligarh, Farukkabad, Saharanpur, Badaun, Barreily, Mordabad, Hathras, Rampur, Bijnor, Agra, Pilibhit, J.P. Nagar, Mainpuri, Lalitpur, Hardoi, Firozabad, Jhansi, Shahjahanpur, Etawah, Jalon, Lakhimpur Kheri, Etah, Mahoba and Sitapur	1st June, 2005
3.	Uttaranchal	1st July, 2005
4.	Madhya Pradesh	1st September, 2005
5.	Himachal Pradesh	1st October, 2005
6.	Jammu and Kashmir	1st October, 2005
7.	Punjab	1st October, 2005";

(b) in sub-rule (13), the following proviso shall be inserted at the end, namely:-

"Provided that Mass emission standards (Bharat Stage II) for diesel driven four wheeled vehicles shall come into force on the dates specified against each of the States in Table below:-

Table

Serial Number	State	Date
(1)	(2)	(3)
1.	Rajasthan	1st June, 2005
2.	Uttar Pradesh - Mathura, Kannauj, Muzaffarnagar, Aligarh, Farukkabad, Saharanpur, Badaun, Barreily, Mordabad, Hathras, Rampur, Bijnor, Agra, Pilibhit, J.P. Nagar, Mainpuri, Lalitpur, Hardoi, Firozabad, Jhansi, Shahjahanpur, Etawah, Jalon, Lakhimpur Kheri, Etah, Mahoba and Sitapur	1st June, 2005
3.	Uttaranchal	1st July, 2005
4.	Madhya Pradesh	1st September, 2005
5.	Himachal Pradesh	1st October, 2005
6.	Jammu and Kashmir	1st October, 2005
7.	Punjab	1st October, 2005".

[F. No. RT-11011/10/2001-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. 590 (E), dated 2nd June, 1989 and last amended vide G.S.R 165(E), dated 9th March, 2005.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2005/वैशाख 7, 1927
No. 171] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2005/VAISAKHA 7, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 247(अ).—भारत सरकार, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 200(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2005 के,—

(i) पृष्ठ 2 पर, नियम 2 में, खंड (क) में, सारणी में, क्रमांक सं. 2 पर, कालम (3) में "1 जून, 2005" को "1 जुलाई, 2005" पढ़ें।

(ii) पृष्ठ 3 पर, नियम 2 में, खंड (ख) में, सारणी में, क्रमांक सं. 2 पर, कालम (3) में "1 जून, 2005" को "1 जुलाई, 2005" पढ़ें।

[फा. सं. आरटी-11011/10/2001-एमवीएल]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th April, 2005

G.S.R. 247(E).—In the notification of Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), Number G.S.R. 200(E), dated the 1st April, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), at page 5,—

(i) In rule 2, in clause (a), in Table, at Sl. No. 2, in column (3), for "1st June, 2005", read "1st July, 2005".

(ii) In rule 2, in clause (b), in Table, at Sl. No. 2, in column (3), for "1st June, 2005", read "1st July, 2005".

[F. No. RT-11011/10/2001-MVL]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

1324 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.